राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या 521/2016/झुन्झुनू
2. अपील संख्या 522/2016/झुन्झुनू

श्री नरेश कुमार गुप्ता पुत्र श्री सत्यनारायण गुप्ता,
सिंघाना तहसील बुहाना (झुन्झुनू)।
.....अपीलार्थी.

बनाम्

सहायक आयुक्त,
वाणिज्यिक कर, वृत झुन्झुनू।
.....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ
श्री मदन लाल, सदस्य
श्री राजीव चौधरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री डी.कुमार, अभिभाषक ....अपीलार्थी की ओर से.
श्री जमील जई,
उप–राजकीय अभिभाषक। ....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 19.05.2017

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह दोनों अपीलें अपीलीय प्राधिकारी वाणिज्यिक कर विभाग, बीकानेर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 324–325/आरवेट/झुन्झुनू/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 13.01.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी ने सहायक आयुक्त, वृत झुन्झुनू (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 की धारा 29(8)(बी), 79, 58, 68 एवं नियम 56(बी) सपठित धारा 24(6), 77, 55 एवं 64 राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 17.11.2014 के जरिये निम्नांकित तालिकानुसार आरोपित की गई मांग राशियों को यथावत रखते हुए अपीलीय अधिकारी द्वारा दोनों अपीलें अस्वीकार की, जिसके विरूद्ध व्यवहारी द्वारा यह दोनों अपीलें अधिनियम की धारा 83 के तहत कर बोर्ड में प्रस्तुत की गई है।

अ.सं.	अपी. अधि. की अ.सं.	अवधि	कर	ब्याज	शास्ति	कुल मांग राशि
521/16	324/आरवेट/झुन्झुनू	29.03.05 से 31.08.05	7,98,195	82,149	15,98,390	24,78,734
522/16	325 /आरवेट/झुन्झुनू	01.09.05 से 31.12.05	21,23,336	85,489	42,48,672	64,57,497

2. दोनों प्रकरणों के तथ्य एवं विवादित बिन्दु समान होने के कारण इनको एक ही आदेश से निर्णित किया जा रहा है, निर्णय की एक–एक प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जा रही है।

3. दोनों प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी ठेकेदार को राजस्व जिला झुन्झुनू एवं सीकर में बजरी व चेजा पत्थर पर कर संग्रहण करने हेतु अधिसूचना दिनांक 11.03.2005 के द्वारा एक वर्ष के लिये (दि. 29.03.2005 से दि. 28.03.2006 तक) अनुमानित वार्षिक कर राजस्व राशि (इ.ए.टी.आर.) रूपये 372 लाख अथवा कुल संग्रहित कर राशि दोनों में से जो भी अधिक हो, को राजकोष में जमा कराने की शर्त पर 3.49 प्रतिशत क्लेकशन चार्जेज की दर पर ठेका स्वीकृत कर अधिसूचना के अनुसार चौकियां स्थापित की जाकर, कर संग्रहण किए जाने हेतु अधिकृत किया गया था जिसकी पालना में अपीलार्थी ठेकेदार द्वारा चौकियां स्थापित की जाकर कर संग्रहण कार्य किया जा रहा था। दिनांक 08.07.2005 को भ्रष्टाचार निरोधक की 12 टीमों द्वारा कर संग्रहण ठेकेदार के झुन्झुनू तथा सिंघाना स्थित कार्यालयों की तथा अधिसूचित क्षेत्र की जांच की गई थी। तदुपरान्त की गई

19/05/17

लगातार................2

जांच के सम्बन्ध में पुलिस उप महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, विशेष सतर्कता सेल, राज. जयपुर ने आयुक्त वाणिज्यिक कर विभाग, राज. जयपुर को जरिये पत्र क्रमांक एसीबी/सीवीसी/05/167 दिनांक 20.07.2005 के अवगत करवाया था, कि जांच के दौरान ठेकेदार द्वारा फर्जी कूटरचित रसीदें काम में ली जाकर राजकोष को नुकसान पहुंचाया गया है। इस क्रम में विभाग को अपने स्तर पर जांच इत्यादि करने हेतु निर्देशित किया जाने पर वाणिज्यिक कर अधिकारी, झुन्झुनू द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471 के तहत ठेकेदार के विरूद्ध दिनांक 24.11.2005 को एफ.आई.आर. दर्ज करवाई गई थी। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों के पत्र के आधार पर अतिरिक्त आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, राज. जयपुर के पत्र संख्या 637 दिनांक 24.11.2005 की पालना में, उपायुक्त (प्रशासन) बीकानेर के आदेश क्रमांक 308 दिनांक 25.11.2005 द्वारा आन्तरिक अंकेक्षण दल का गठन किया जाकर, ठेकेदार द्वारा कर संग्रहण हेतु उपयोग में ली गई एवं कर निर्धारण अधिकारी कार्यालय में जमा करवाई गई रसीदों का अंकेक्षण करवाया गया, तो अंकेक्षण दल ने कुटरचित रसीदों द्वारा भी कर संग्रहण किए जाने के संबंध में आक्षेप गठित किए। ठेकेदार द्वारा दिनांक 29.03.05 से 31.08.05 तक कर संग्रहण हेतु उपयोग में ली गई रसीद बुकों का अंकेक्षण कर रिपोर्ट तैयार की जाकर दिनांक 22.12.05 को कर निर्धारण अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत की। अंकेक्षण दल द्वारा गठित आक्षेपों के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 21.03.2006 व दिनांक 30.01.2006 को कर निर्धारण आदेश पारित करते हुए कंर, शास्ति एवं ब्याज की कुल मांग राशि उक्त दोनों अवधियों के लिये क्रमशः रू. 88,21,424/– तथा रू. 38,45,893/– आरोपित की गई। उक्त पारित आदेशों के विरूद्ध अपीलार्थी ठेकेदार द्वारा, अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें पेश किए जाने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक 26.04.2007 से अपील के कुछ बिन्दुओं यथा शास्ति आदि को स्वीकार करते हुए अपीलार्थी को आंशिक राहत प्रदान कर दी तथा कूटरचित रसीदों (मुख्यतः) तथा कतिपय बिन्दुओं के सम्बन्ध में प्रकरणों को कर निर्धारण अधिकारी को कतिपय निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित कर दिया।

4. उक्त प्रतिप्रेषित आदेश दिनांक 26.04.2007 की पालना में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पुनः निर्धारण दिनांक 12.05.2009 को किया जाकर व्यवहारी पर मांग राशि क्रमशः रूपये 64,57,497/– तथा रू. 24,78,734/– सृजित की गई। जिससे असंतुष्ट होते हुए अपीलार्थी द्वारा इन आदेशों के विरूद्ध पुनः अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपीलें पेश की गई और अपीलीय अधिकारी द्वारा कुछ निर्देशों के साथ प्रकरणों में पुनः जांच कर, नए सिरे से आदेश पारित किए जाने के निर्देशों के साथ अपने आदेश दिनांक 26.09.2012 द्वारा कर निर्धारण अधिकारी को पुनः प्रतिप्रेषित कर दिये। उक्त प्रतिप्रेषित प्रकरणों का कर निर्धारण अधिकारी द्वारा बाद जांच पुनः दिनांक 17.11.2014 को कर निर्धारण आदेश पारित किया जाकर पूर्व में सृजित मांग राशियों क्रमशः रू. 64,57,407/– तथा रू. 24,78,734/– को यथावत रखा। उक्त पारित निर्धारण आदेशों के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 13.01.2016 द्वारा आरोपित मांग राशियों को यथावत रखते हुए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीलें अस्वीकार की। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा उपरोक्त अपीलें कर बोर्ड में अधिनियम की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गयी हैं।

5. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

19/05/17

लगातार................3

6. अपीलार्थी ठेकेदार की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलीय अधिकारी द्वारा दिनांक 26.04.07 को जिन बिन्दुओं पर विस्तृत जांच करते हुए प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये थे, उन निर्देशों की पालना नहीं की गयी है। जबकि अपीलीय अधिकारी द्वारा उक्त पारित आदेश में बिन्दु सं. 1 से 7 तक स्पष्ट निर्देश जारी किये गये थे, जिसके लिए कर निर्धारण अधिकारी को प्रत्येक बिन्दु पर अपने स्तर पर अथवा तकनीकि सहायता प्राप्त करते हुए एवं अन्य साक्ष्यों की गहन जांच करने के पश्चात आदेश पारित करना चाहिए था, जबकि ऐसा नहीं किया गया है अनेक न्यायिक दृष्टिकोण एवं निर्णयों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है, कि प्रतिप्रेषित मामलों में दिये गये निर्देशों की पालना का दायित्व कर निर्धारण अधिकारी के लिए बाध्यकारी होता है तथा पारित आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

7. अपीलार्थी ने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित कर निर्धारण आदेश दिनांक 12.05.2009 के विरूद्ध पुनः अपील पेश की, जिसका निर्णय अपीलीय अधिकारी द्वारा दिनांक 26.09.2012 को किया जाकर निर्देश प्रदान किये गये कि पूर्व में पारित अपील आदेश में दिये गये निर्देशों की पालना में विस्तृत जांच कर आख्यापक आदेश यथा संभव एक वर्ष में पारित किया जावे लेकिन कर निर्धारण अधिकारी ने निर्देशों की पालना नहीं करते हुए पुनः अपना आदेश दिनांक 17.11.2014 को पारित किया तथा पूर्व आदेश दिनांक 12.05.2009 में सृजित मांग राशियों को यथावत रखा है, जो कि अनुचित है।

8. कर निर्धारण अधिकारी ने पुनः प्रतिप्रेषित कर निर्धारण की कार्यवाही निर्धारित एक वर्ष की अवधि में प्रारम्भ नहीं की है तथा न ही अपील आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुसार किसी प्रकार की कोई जांच की है एवं समयावधि से परे जाकर तथा अपीलीय निर्देशों के विरूद्ध जाकर पुनः दिनांक 17.11.2014 को कर निर्धारण पारित कर दिया। जिसके विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा पुनः अपील प्रस्तुत करने पर पूर्व में अपीलीय अधिकारियों द्वारा जारी प्रतिप्रेषित आदेशों को दर किनार कर अपीलीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 13.01.2016 द्वारा अपीलार्थी की अपीलें स्वीकार कर ली गई, जो मनमाना, अनुचित व अविधिक कार्यवाही होने से निरस्तनीय है एवं प्रस्तुत अपीलों को स्वीकार करने का अनुरोध किया। अपने तर्कों के समर्थन में उन्होंने माननीय न्यायालयों के निम्न निर्णय भी उद्धरित किए गए :–

1. (2000) 27 आरटीजेएस 6 निर्णय दिनांक 19.02.1999 (आरटीटी)
2. एडीशनल कमीशनर, आयकर बनाम राधेश्याम जगदीशप्रसाद निर्णय दिनांक 19.08.1978 (1978) 46 सीसीएच 0774 (माननीय इलाहाबाद होईकोर्ट)
3. मैसर्स रौनक डिस्ट्रब्यूटर्स प्रा0लि0 बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी (एई) उदयपुर (2015) 11 आरजीएसटीआर निर्णय दिनांक 14.01.2015 (राज. उच्च न्यायालय)
4. बी.जी.आर. एनर्जी सिस्टमस लि0 बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान एण्ड अन्य (2013) 62 वीएसटी 413 निर्णय् दिनांक 26.02.2013 (राज.हाई कोर्ट)

उपरोक्त निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्तों के दृष्टिगत उन्होंने प्रस्तुत अपीलें स्वीकार करने का निवेदन किया।

10. विद्वान उपराजकीय अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत दोनों अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया। साथ ही उन्होंने निवेदन किया कि कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलीय अधिकारी के प्रतिप्रेषण आदेश की पालना में अपना विस्तृत आदेश पारित किया है, जो उचित एवं विधिक है अतः प्रस्तुत अपीलें अस्वीकार करने योग्य हैं।

19/05/17

लगातार................4

11. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया, प्रस्तुत रिकार्ड तथा न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया। दोनों अपीलों में निम्न तथ्य अविवादित है कि अपीलार्थी व्यवहारी को राजस्व जिला झुन्झुनू एवं सीकर में बजरी व चेजा पत्थर पर कर संग्रहण करने हेतु दिनांक 11.03.2005 के आदेश के द्वारा एक वर्ष के लिये (29.03.2005 से दिनांक 28.03.2006) तक अनुमानित वार्षिक कर राजस्व राशि (इ.ए.टी.आर.) रू0 372 लाख अथवा कुल संग्रहित कर राशि दोनों में से जो भी अधिक हो को राजकोष में जमा कराने की शर्त पर 3.49 प्रतिशत कलेक्शन चार्जेज की दर पर ठेका स्वीकृत कर चौकियां स्थापित कर, कर संग्रहण कार्य हेतु अधिकृत किया गया था। परन्तु विभिन्न जांच एजेन्सीयों तथा आन्तरिक अंकेक्षण दल द्वारा गठित आक्षेपों के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी के विरूद्ध कर निर्धारण सम्पन्न किया गया। जिसके विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 26.04.2007 से कूटरचित रसीदों के सम्बन्ध में कतिपय बिन्दुओं के संबंध में जांच कर, कर निर्धारण सम्पूरित करने के निर्देश दिये एवं प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया। अपीलीय अधिकारी ने निम्न आदेश पारित किया :–

1. विवादित गोल मोहर कार्यालय की मोहरों में से एक है अथवा नहीं कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इस सम्बन्ध में कोई विधिक विशेषज्ञ की राय नहीं ली गई है। 2. रसीद बुकों के प्रथम एवं अन्तिम पृष्ठ को छोड़कर अन्य कम संख्याओं में कुछ शब्दों की भिन्नता है वह प्रिंटर की त्रुटि से है अथवा नहीं ? इसका समुचित विवेचन नहीं किया गया है। न ही प्रिंटर से कोई जांच की गई है या प्रति परीक्षण करवाया गया है। 3. विवादित रसीद बुक्स से संग्रहित कर राशि जमा करवा देने के पश्चात भी अनुबन्ध की किस शर्त का किस प्रकार उल्लंघन हुआ है। विस्तार से कोई वर्णन नहीं किया गया है। 4. आंतरिक अंकेक्षण दल द्वारा उठाई गई आपत्तियों का निर्धारण अधिकारी के लिए बाध्यकारी नहीं वरन सलाहकारी होती है। 5. कर निर्धारण अधिकारी द्वारा विवादित रसीद बुक्स की प्रथम प्रति जो कि कैरियर के साथ रहती है प्रमाण स्वरूप पूरी ठेका अवधि में एक भी रसीद अभिग्रहित कर यह प्रमाणित नहीं किया गया है कि अनुबन्ध कर्त्ता ने किस प्रकार निर्धारित कर राशि से अधिक कर राशि वसूल कर अपनी स्थिति का दुरूपयोग करते हुए अनुबन्ध की शर्तो का उल्लंघन किया है। 6. अपील स्तर पर एक निजी विशेषज्ञ की गोल मोहर के सम्बन्ध में राय पेश की गई है जिसे भी विचार में लिया जाना उचित होगा। (अमीर मोहम्मद बनाम बरकत अली (2002) 4 **WLC 425 RHC**) 7. तर्क के लिए अगर अनुबन्ध की शर्तो का उल्लंघन भी किया जा रहा था तो अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के अनुसार कर निर्धारण अधिकारी को किस सीमा तक कार्यवाही करने का अधिकार है आदि, महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आदेश में विचार किया जाना चाहिए था जो कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा नहीं किया गया है, इस दृष्टि से यह आदेश एक स्पीकिंग आदेश नहीं है। यह एक स्थापित विधि है कि अपील अधिकारी से लेकर उच्चतम स्तर तक एक विशेषज्ञ के तौर पर कार्य नहीं किया जा सकता है। फलतः इस बिन्दु पर आदेश अपास्त कर पुनः जांच कर विस्तृत नवीन आदेश पारित करने के लिए प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किए जाते है। 2 गांवों में एक ही क्षेत्र के भिन्न–2 नाम होते है। आस पास अन्य जांच चौकी स्थापित करते हुए संग्रहित राशि जमा करवा दी गई है तो ठेकेदार का कोई दोषी मनोभाव नहीं है क्योंकि उसे तो मात्र कलेक्शन चार्जेज ही मिलना तय है मुख्य हिस्सा तो विभाग का है। अतः अतिरिक्त आरोपित कर, शास्ति आदि अपास्त किए जाते है। 3. मुर्रम कोई अलग वस्तु नहीं वरन बजरी एवं पत्थर का मिश्रित रूप ही है। अतः ठेके की वस्तुओं में कवर होने के कारण आरोपित कर, शास्ति आदि को अपास्त किया जाता है। 4. अधिनियम 1994 की धारा 9 के अनुसार कैरियर के विकल्प के आधार पर ठेकेदार द्वारा वजन या मूल्य के आधार पर प्रशमन राशि वसूल करनी है। यथा बजरी के ट्रक पर 06/प्रति टन या राशि में रू. 120/वसूल करने है। अगर कोई कैरियर 20 टन से अधिक माल ले जा

लगातार................5

रहा है तो निश्चित ही ज्यादा रूपया वसूल किया जावेगा। छोटे–2 चैक पोईन्टस पर वे ब्रिज की सुविधा नहीं होने से ठेकेदार एवं कैरियर की आपसी सहमति ही आधार बनेगी। इसके अतिरिक्त जितनी भी राशि ठेकेदार द्वारा वसूली गई है वह जमा करवा दी गई है। अतः इस बिन्दु पर भी अधिरोपित अतिरिक्त कर एवं दुगुनी शास्ति अपास्त की जाती है। 5. नियम 42(7) ठेकेदार को यह शक्तियां प्रदान करता है कि वह पंजीकृत व्यवसायियों से भी कर वसूल कर सकता है इसके अतिरिक्त यह राशि मात्र रू. 75/– है। अतः इस बिन्दु पर अधिरोपित कर एवं शास्ति को भी अपास्त किया जाता है। 6. वजन अथवा मूल्य के आधार पर कर वसूल करना है। इस संबंध में केरियर एवं ठेकेदार के कर्मचारियों में छोटा मोटा विवाद व्यावहारिक तौर पर सम्भव है। 372 लाख के ठेके में मात्र रू0 26609/– की गलती सुधारना सम्भव है। अतः इस बिन्दु पर भी आरोपित कर एवं शास्ति को अपास्त किया जाता है। 7. जब समस्त विवरण लिखकर रसीद बुक्स कार्यालय में जमा करवा दी गई थी तो समय पर धारा 68 के अन्तर्गत सूचना पत्र जारी कर कार्यवाही की जानी चाहिए थी। फलतः धारा 68 में आरोपित शास्ति को अपास्त किया जाता हे। 8. अपीलार्थी की बहस है कि समय पर उसकी कलेक्शन चार्जेज प्राप्त नहीं हुए है। अतःउसने कुछ राशि समय पर जमा नहीं करवाई है। इस बिन्दु पर तथ्यों की जांच किया जाना आवश्यक है। अतः यह बिन्दु कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाता है। विद्वान अभिभाषक की यह दलील सारहीन है कि अधिनियम 1994 की धारा 58 ठेके के अनुबन्ध पर लागू नहीं होती है। 9. अनुबन्ध की शर्तों के तकनीकि उल्लंघन के लिए धारा 68 के अन्तर्गत शास्ति के प्रावधान है जो कि अधिकतम रू0 2000/– है। फलतः दोनों आदेशों में अधिक आरोपित शास्ति को अपास्त किया जाता है। 10. अनुबन्ध की शर्त संख्या 30 रसीद बुक्स की द्वितीय प्रति को सुरक्षित रखने के लिए है। द्वितीय प्रति कार्बन प्रति की नहीं है तो यह एक तकनीकी भूल है। आलौच्य अवधि में कार्बन प्रति का संशोधन प्रभावी नहीं था। पेन के लिखने की कुछ स्थानों पर व्यावहारिक परिस्थितियों हो सकती है। फलतः धारा 68 के अन्तर्गत रू0 2000/– को यथावत कायम रखते हुए शेष शास्ति आरोपण को अपास्त किया जाता है। 11. अनुबन्धकर्ता को वजन से या मूल्य से कर चुकाने वाले के विकल्प के आधार पर प्रशमन राशि वसूल करनी है। अपीलकर्ता ने निर्धारित राशि से कम या ज्यादा राशि वसूल करके जमा करवा दी है। उसे मात्र कलैक्शन चार्जेज ही प्राप्त होने है। अतः राजस्व की कोई हानि नहीं हुई है। फलतः अतिरिक्त अधिरोपित कर राशि को भी अपास्त किया जाना उचित रहेगा।"

12. उक्त प्रतिप्रेषण आदेश दिनांक 26.04.2007 जिसमें विशिष्ट निर्देशों के साथ प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया था, के क्रम में कर निर्धारण अधिकारी ने व्यवहारी अपीलार्थी के विरूद्ध पूर्व कर निर्धारण आदेश में इंगित किये गये कारणों को पुनः अंकित कर प्रतिप्रेषण निर्देश की कथित तौर पर पालना में आदेश दिनांक 12.05.2009 द्वारा निम्नानुसार की गई "चूंकि माननीय उपायुक्त (अपील्स) ने इस बिन्दु पर प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया है, जिसके विरूद्ध विभाग द्वारा माननीय कर बोर्ड के यहां अपील भी प्रस्तुत कर रखी है जिसका निर्णय अभी होना बाकी है अतः इस बिन्दु पर प्रकरण कर बोर्ड में अपीलाधीन होने के कारण एवं तथ्यों से यह स्पष्ट होने कि ठेकेदार द्वारा 84 रसीद बुकों में जानबुझकर हेरा फेरी कर/कुटरचित रसीदों से बिकी कर की राशि रूपये 7,98,195/– वसूल की है तथा ठेके की निविदा एवं संविदा की शर्तों का उल्लंघन किया है फलस्वरूप 84 कूटरचित बुकों से वसूल की गई कर राशि रूपये 7,98,195/– को जप्त किया जाकर इस राशि का यहां पर पुनः वसूली हेतु आरोपण किया जाता है तथा ठेके की शर्तों को उल्लंघन किये जाने के अपराध में राजस्थान बिकी कर अधिनियम 1994 की धारा 79(5) के अन्तर्गत आरोपित कर राशि की दुगुनी राशि रूपये 15,96,390/– की शास्ति आरोपित की जाती है, इसके साथ ही विलम्ब के लिये ब्याज की राशि 82,149/– भी पुनः आरोपित कर दी गई।"

लगातार.................6

13. अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध विभाग द्वारा अपील प्रस्तुत की गई। परन्तु माननीय कर बोर्ड के समक्ष विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 2078/07 एवं 2079/07 दिनांक 01.06.2012 के निर्णय द्वारा केवल इस आधार पर खारिज कर दी गई कि अपीलीय अधिकारी के प्रतिप्रेषित आदेश दिनांक 26.04.2007 की पालना में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अनुपालना कर दिये जाने से उनके समक्ष प्रस्तुत अपील सारहीन हो गई अतः गुणावगुण पर कोई आदेश पारित नहीं किया गया।

14. राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 का नियम 35 निम्न प्रकार से प्रावधित है :–

> **35. Giving effect to an appellate or a revisional order - If an order, passed in appeal or revision under section 82, 83 or 85 has the effect of varying the order of an assessing authority or any other authorized officer, the assessing authority or such other authorized officer shall taken action suo motu to give effect to such order and shall refund the excess or realize the deficit, as the case may be.**

15. परन्तु वाणिज्यिक कर अधिकारी, झुन्झुनू ने अपने आदेश दिनांक 12.05.2009 में धारा 35 के प्रावधानों के विपरीत जाकर पैरा 12 में वर्णित आदेश पारित कर दिया अतः अधिनियम की धारा 79(5) सपठित राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 12.05.2009 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील पर पुनः अपीलीय अधिकारी ने अधिनियम की धारा 82 के तहत पारित आदेश दिनांक 26.09.2012 का सारांश निम्न प्रकार से है :–

> "सक्षम अधिकारी द्वारा पारित इस निर्णय में उपायुक्त (अपील्स) के द्वारा निर्देशित 7 बिन्दुओं के संबंध में केवल यह उल्लेख करना पर्याप्त नहीं है कि इस प्रतिप्रेषित आदेश के विरूद्ध माननीय कर बोर्ड, अजमेर में प्रस्तुत कर रखी है जिसका निर्णय बाकी है अतः इस आधार पर कूटरचित बुकों से वसूल कर जब्त किया जाकर अधिनियम की धारा 79(5) के अंतर्गत कर की दुगुनी शास्ति आरोपित की जाती है। जब अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण को प्रतिप्रेषित कर विशिष्ट तथ्यों की जांच करने के निर्देश दिऐ गए है उस स्थिति में उनके आदेशों की अक्षरशः पालना करते हुए विस्तृत जांच कार्य करना आवश्यक था जो कि सक्षम अधिकारी द्वारा नहीं किया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिप्रेषित आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील करने के पश्चात आगामी कार्यवाही नहीं करने का मानस बना लिया गया एवं किसी भी प्रकार की आगामी कार्यवाही नहीं की गयी। केवल प्रतिप्रेषित आदेश समाप्ति की अवधि के नजदीक आने पर अपीलार्थी व्यवसायी को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। उक्त कार्यवाही पूर्णतः विधिक नहीं मानी जा सकती एवं अपीलीय अधिकारी के निर्देशों की अवहेलना करने की श्रेणी में आता है। इस संबंध में विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय लार्सन एण्ड टूर्बो लि. बनाम सहायक आयुक्त (2008) 12 वीएसटी 54 एवं केरला उच्च न्यायालय के निर्णय उदीपि कृष्णा भवन बनाम सहायक बिक्रीकर अधिकारी (1991) 81 एसटीसी 2008 की छाया प्रतियां प्रस्तुत की गयी जिनमें दिए गये निर्णयों के सारांश से स्पष्ट होता है कि कर निर्धारण अधिकारी को अपीलीय अधिकारी द्वारा दिऐ गये निर्देशों की पालना करना बाध्यकारी (Mandatory) है क्योंकि कर निर्धारण अधिकारी से उच्च पद पर अपील अधिकारी पदस्थापित होता है जिसके आदेश की पालना अवश्य की जानी चाहिऐ। इस आधार पर भी यह स्पष्ट होता है कि सक्षम अधिकारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के प्रतिप्रेषित आदेश दिनांक 26.04.2007 में दिये गये निर्देशों की पालना नहीं की गयी है। अतः पारित उक्त दोनों आदेशों को अपास्त किया जाता है तथा उक्त दोनों प्रकरण पुनः प्रतिप्रेषित आदेश दिनांक 26.04.2007 के पृष्ठ संख्या 3 व 4 में उल्लेखित 7 बिन्दुओं पर पुनः स्वतंत्र एवं न्यायिक जांच करते हुए स्पीकिंग आदेश पारित करे एवं इस संबंध में पुनः जांच कार्यवाही अतिशीघ्र प्रारम्भ करते हुए प्रतिप्रेषत आदेश प्राप्ति के यथा संभव एक वर्ष के अंदर पारित करने की कार्यवाही की जावे।"

लगातार................7

16. प्रतिप्रेषित आदेश दिनांक 26.09.2012 की अनुपालना में कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष केवल प्रतिप्रेषित आदेशों के क्रम में दिये गये निर्देशानुसार ही जांच कर आदेश पारित किया जाना था जबकि उन्होंने पूर्ववत दिनांक 12.05.2009 के आदेश में उल्लेखित तथ्यों का अंकन करके दिनांक 17.11.2014 को प्रतिप्रेषित कर निर्धारण आदेश पारित कर दिया। यहां तक कि अपास्त की गई शास्तियां भी आरोपित कर दी जिसका उनके पास कोई विधिक आधार अथवा औचित्य नहीं था। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित उक्त आदेश अपीलीय अधिकारी के दिये गये निर्देशों की घोर अवहेलना करते हुए पुनः उसी भाषा और प्रभाव के अनुसार आदेश पारित कर दिया गया।

17. दिनांक 17.11.2014 के प्रतिप्रेषित कर निर्धारण आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी ठेकेदार ने पुनः अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की जिसको अपीलीय अधिकारी ने दिनांक 13.01.2016 के आदेश द्वारा अपीलार्थी की अपील कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिये गये तथ्यों को अंकित करते हुए अस्वीकार कर दी गई। यहां यह प्रश्न उठना स्वभाविक है कि अपीलीय अधिकारी ने न्यायिक प्रक्रियाओं की अनदेखी की गई वस्तुतः मूल बिन्दु जिसमें लगातार अपीलीय आदेशों में दिये गये प्रतिप्रेषण निर्देशों की अवहेलना कर निर्धारण अधिकारी द्वारा की जाती रही है। यहां तक कि अपास्त की गई शास्तियों को भी बिना अधिकार के पुनः आरोपित कर दिया गया है। दिनांक 21.03.2006 व 30.01.2006 के मूल पारित कर निर्धारण आदेशों के विरूद्ध पारित अपीलीय आदेश के विरूद्ध माननीय राजस्थान कर बोर्ड के समक्ष विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त हो जाने के पश्चात अपीलीय आदेश दिनांक 26.04.2007 अपनी अन्तिमता को ग्रहण कर चुका था जिसकी अनुपालना माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उपरोक्त प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार निम्नतर अधिकारी होने के कारण कर निर्धारण अधिकारी को पालना करने की बाध्यता थी परन्तु उनके द्वारा अवहेलना की गई एवं अन्तिम अपीलीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक 13.01.2016 के माध्यम से उक्त अविधिक आदेश की पुष्टि करना अपने आप में ही अविधिक होने से निरस्तनीय हो जाता है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने यूनियन ऑफ इण्डिया बनाम मैसर्स कमलाक्षी फाईनेंस कॉरापोरेशन लि0 एआईआर 1992 पृष्ठ 711 में निम्न प्रकार से सिद्धान्त प्रतिपादित किया है :–

"The High Court has, in our view, rightly criticized this conduct of the Assistant Collectors and the harassment to the assessee caused by the failure of these officers to give effect to the orders of authorities higher to them in the appellate heriarchy. It cannot be too vehemently emphasized that it is of utmost importance that, in disposing of the quasi-judical issues before them, revenue officers are bound by the decisions of the appellate authorities. The order of the Appellate Collector is binding on the Assistant Collectors working within his jurisdiction and the order of the Tribunal is binding upon the Assistant Collectors and the Appellate Collectors who function under the jurisdiction of the Tribunal. The principles of judicial discipline require that the orders of the higher appellate authorities should be followed unreservedly by the subordinate authorities. The mere fact that the order of the appellate authority is not "acceptable" to the department - in itself an objectionale phrase and is the subject matter of an appeal can its operation has been suspended by a competent court. If this healthy rule is not followed, the result will only be undue harassment to assesses and chaos in administration of tax laws."

एवं यह भी इसी आदेश में प्रतिपादित किया है कि :–

19/05/17

"We have dealt with this aspect at some length, because it has been suggested by the learned Additional Solicitor Gerneral that the observations made by the High Court have been harsh on the officers. It is clear that the observations of the High Court, seemingly vehement, and apparently unpalatable to the Revenue, are only intended to curb a tendency in revenue matters which, if allowed to become widespread, could result in considerable harassment to the assessee public without any benefit to the Revenue. We would like to say that the department should take these observations in the proper spirit. The observations of the High Court should be kept in mind in future and the utmost regard should be paid by the adjudicating authorities and the appellate authoritites to the requirements of judicial discipline and the need for giving effect to the orders of the higher appellate authorities which are binding on them."

18. उपरोक्त निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त एवं बाध्यकारी निर्देश के दृष्टिगत उक्त प्रकरण में यह स्थिति उभर कर सामने आती है कि प्रतिप्रेषित अपीलीय आदेश दिनांक 26.04.2007 में उल्लेखित केवल सात बिन्दुओं पर पुनः जांच कर कर निर्धारण अधिकारी को स्पीकिंग आदेश पारित किया जाना था जिसमें कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वांछित अनुपालना नहीं क्र अविधिक तौर पर आदेश पारित किया गया। यद्यपि प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रतिप्रेषित आदेश दिनांक 26.04.2007 के अनुरूप ही कर निर्धारण अधिकारी से कार्यवाही अपेक्षित थी तथापित गुणावगुण पर विश्लेषण भी किया जावे तो तत्समय प्रवृत ठेकेदारों के माध्यम से कर वसूलने की प्रक्रिया हेतु राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994/नियम 1995 में निम्न प्रकार से प्रावधित किया गया है :–

79. Establishment of check-post and collection of tax on contract basis -

(1) Where the State Government is of the opinion that without establishing a departmental check-post, it is public interest to collect tax on contract basis, in respect of all kinds of building stones, marbel and granite in all their forms, gitti, bazri, all other goods specified under clause (9) of section 2 and animals at a particular check-post or for a specified area, it may direct the Commissioner to collect such tax thourgh a contract, at such check-post or for such area, at the rates as may be notified under the Act from time to.time in the manner and on such terms and conditions as may be prescribed, for a period not exceeding two years at at time.

Explanation :- For the purposes of this section any transaction involving buying, supplying, distributing, carrying or otherwise didposal of the goods or the animals referred to above, shall be construed to be sale.

(2) A contractor covered by sub-section (1), shall deposit the entire amount of tax collected subject to revision on account of any increase or decrease in the rate of tax or grant of exemption from tax, in such manner and within such time as may be prescribed, and all the provisions of this Act including the provisions of recovery and interest shall, so far as may be, apply to such contractor.

(3) Where the period of a contract entered into under sub-section (1) expires and no further contract is awarded, the same contract may be extended by the Commissioner, for a further period of three months or upto the date of the award of the next contract, whichever is earlier, and the extended period shall be governed by the terms and conditions of the original contract.

(4) The contractor shall not collect tax on the goods under sub-section (1) exceeding the amount of tax leviable thereon under the provisions of the Act.

19/05/17

लगातार................9

(5) Where a contractor violates the provisions of sub-section (4), the Commissioner or any officer not below the rank of Assistant Commercial Taxes Officer authorized by the Commissioner, shall, after affording an opportunity of being heard, direct that such contractor shall pay by way of penalty, in addition to the amount of excess tax collected, a sum equal to double the amount of excess tax collected by him or any other person on his behalf.

(6) Where a contractor violates any of the terms or conditions of the contract, the Commissioner, after affording an opportunity of being heard and recording reasons in writing, terminate the contract at any time and shall be empowered to recover the full amount of tax as stipulated under the contract from such contractor, as if such amount was a demand of tax under the Act.

56B. Procedure for collection of tax on contract basis -

Wherever the State Government directs the Commissioner to collect tax in the State on contract basis for a particular check-post or for a specified area under section 79, the following procedure shall be adopted :-

(a) The commissioner shall determine the amount of estimated annual tax revenue for a particular check-post or for a specified area on the basis of the highest annual tax revenue of the immediately preceding three years or of lesser years, as the case may be, When such area and the check-post(s) are contracted out for the first time, the estimated annual tax revenue would be determined by the Commissioner to the best of his judgment. However, in the event of any special circumstances, the Commissioner, after recording reasons for doing so, may revise such estimated annual tax revenue. The determination of estimated annual tax revenue by the Commissioner under this clause shall be final.

(b) After determination of the estimated annual tax revenue, the Commissioner may direct an officer not below the rank of Commercial Taxes Officer to invite tender for the collection charges as a percentage of the estimated annual tax revenue in respect of the tax to be collected for a particular check-post or for a specified area.

(c) On receipt of the directions under clause (b), the authorized officer shall invite tenders for collection of tax for the specified area or check-post. The contents of the tender document, amount of the security deposit , earnest money etc., and the procedure for awarding of the contract, shall be such as may be specified by the Commissioner from time to time.

(d) The officer authorized under clause (b) shall recommend the name of the successful bidder, who has offered for the lowest collection charges, to the Commissioner for authorization to collect tax for a particular check-post or for as specified area.

(e) On receipt of the recommendation under clause (d), the Commissioner if satisfied may authorize such contractor to collect tax in respect of the specified goods and/or animals for a particular check-post or for a specified area.

(f) Whenever, a person brings the goods and/or animals at such check-post or in the specified area as mentioned above, he shall furnish the information to such contractor.in Form ST 33.

(g) On receipt of such Form ST 33, and in case the person fails to provide the requisite information in Form ST 33, the contractor shall collect the tax in accordance with the contract, at the rate notified under the Act, and the tax so collected shall be deposited in accordance with clause (i).

(h) The contractor shall collect the tax and issue receipts, duly authenticated by the Assistant Commissioner/Commercial Taxes Officer of the area or any other officer authorized by the Commissioner, to the person from whom such tax is collected.

(i) The contractor shall deposit the entire collected tax or the 1/52nd part of the annual estimated tax revenue, whichever is higher, on every Monday in the State Treasury or the banks authorized for the purpose through a challan in form ST 10 and in the event Monday being holiday, such amount shall e deposited on the immediately following working day. On completion of the contract period, if it is found that the amount deposited by the contractor is more than annual estimated tax revenue as well as the actual tax collected by him, such excess deposit amount shall be refunded to the contractor.

19/05/17

लगातार.................10

The contractor shall maintain a complete and true account of the tax collected and deposited by him and shall furnish the complete details of the tax collected and deposited in Form ST 34 to the Assistant Commissioner or the Commercial Taxes Officer of the area, within ten days of the end of the month.

(j) The collection charges to the contractor as per the contract shall be granted, within thirty days of the submission of the monthly statement in accordance with clause (j), as percentage of the annual estimated tax revenue or the entire tax collected and deposited, whichever is higher, subject to the final adjustment at the end of the contract period.

(l) The contractor shall be bound by the provisions of the Rajasthan Sales Tax Act, 1994 and the rules made there under, terms and conditions of the contract and the instructions issued by the Commissioner from time to time. In case of any violation, the contract shall be liable to be cancelled by the Commissioner after affording an opportunity of being heard to the contractor in this behalf.

(m) In case of any dispute regarding the contract, the contractor may submit such dispute to the Commissioner, whose decision in the matter shall be final.]

19. प्रकरण में यह तथ्य निर्विवादित है कि राजस्थान अन्वेषण ब्यूरों की जांच एवं इस पर कार्यवाही हेतु प्रकरण वाणिज्यिक कर विभाग को भेजने के बाद कर निर्धारण अधिकारी ने ठेकेद्रार के विरूद्ध दिनांक 01.05.2006 को नियमित कर निर्धारण सम्पूरित किया है जिसके अनुसार केवल एक रसीद बुक जमा नहीं करवाने पर शास्ति सहित 67,500/— रूपये की मांग सृजित की गई थी एवं रेकार्ड के अनुसार ईएटीआर 372 लाख रूपये का 3.49 प्रतिशत राशि भी ठेके की शर्तो के अनुसार ठेकेदार को चुका दी गई थी। उक्त प्रकरण व्यवहारी द्वारा वाणिज्यिक कर अधिकारी कार्यालय झुन्झुनू में प्रस्तुत चैक पोस्ट से संबंधित दस्तावेजों की ऑडिट करके ही प्रकरण उसके विरूद्ध बनाया गया है। ऑडिट रिपोर्ट पत्रावली पर उपलब्ध है जिसका अवलोकन किया गया। तदनुरूप ऑडिट दल द्वारा प्रस्तावित कार्यवाही को ही आधार मानकर कर निर्धारण अधिकारी ने व्यवहारी के विरूद्ध मांगे सृजित की गई है किसी प्रकार की कोई जांच कार्यवाही कर निर्धारण अधिकारी द्वारा नहीं की गई है। यहां तक कि दो बार अपीलीय अधिकारी द्वारा जोर देकर प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया कि कर निर्धारण अधिकारी अंकेक्षण दल द्वारा प्रस्तावित अनियमितताओं की जांच कर ही व्यवहारी के विरूद्ध करारोपण आदि की कार्यवाही करे। परन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा ऐसा नहीं करके क्रमशः दिनांक 21.03.2006 व 30.01.2006 को पारित मूल आदेशों में अंकेक्षण दल के द्वारा इंगित अनियमितताओं को ही प्रमाण मानकर करारोपण किया गया है, जोकि उच्चाधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों की अवहेलना मात्र है। तत्पश्चात पुनः वहीं कार्यवाही कर दिये जाने एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा उसको उचित ठहरा देना किसी भी तर्क से सही नहीं माना जा सकता। उक्त अपीलों में विवादित तथ्यों पर पुनः गुणावगुण पर अवलोकन किया जावे तो अपीलाधीन प्रकरणों में ग्यारह बिन्दु विवादित हैं, जो अंकेक्षण दल द्वारा प्रस्तावित कार्यवाही के आधार पर प्रारम्भ में तय किये गये थे :— 1. ठेकेदार द्वारा ठेका अवधि में अंकेक्षण दल की आपत्ति के अनुसार कुछ रसीद बुकों में हेराफेरी कर कूटरचित रसीदें तैयार करके अवैध वसूली करते हुए अनुबन्ध की शर्त संख्या 30 का उल्लंघन किया है। 2. 13 रसीद बुकों से अधिसूचित चैक पोस्टों के अलावा चैक पोस्ट स्थापित करके बिक्री कर की वसूली की है। 3. ठेके में सम्मिलित वस्तुओं के अलावा अन्य वस्तुओं से यथा "मुर्रम" पर भी बिक्री कर वसूली की है। 4. ठेकेदार द्वारा निर्धारण प्रशमन राशि से अधिक राशि वसूल करके अनुबन्ध की शर्तों का उल्लंघन किया है। 5. पंजीकृत व्यवहारियों से भी कर वसूल किया गया है। 6. कुछ रसीद बुक्स में कांट छांट कर वास्तविक राशि से कम राशि जमा करवाई है। 7. ठेके में वसूल की गई राशि का सही हिसाब नहीं रखकर शर्त

लगातार................11

संख्या 31 का उल्लंघन किया है। 8. कुछ राशि ठेके की शर्तो के अनुसार साप्ताहिक जमा न करवाकर विलम्ब से जमा करवाई गई है। 9. कार्यालय में प्रस्तुत एसटी 34 पूर्ण रूप से भरकर समय पर प्रस्तुत नहीं किया है। 10. कुछ रसीदों की कार्बन प्रतियों में राशि कार्बन से न लिखी जाकर पेन से लिखी गई है। 11. कुछ रसीद बुक्स में निर्धारित दर से कम दर से कर राशि संग्रहित की गई है। इस संबंध में अपीलार्थी को सुना गया तो उसके द्वारा दिनांक 10.01.2006 को एक लिखित उत्तर दिया गया। पैरा संख्या 1 से 11 तक व्यवहारी के उत्तर को अस्वीकार करते हुए अधिनियम 1994 की धारा 79(5) के अन्तर्गत कर, दुगुनी शास्ति एवं ब्याज आदि आरोपित करते हुए विवादित आदेश पारित किए गए है।

20. इस संबंध में उल्लेखनीय है कि प्रथम अपील आदेश दिनांक 26.04.2007 में इन बिन्दुओं पर विचार कर प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया गया था। उक्त आदेश अपनी अन्तिमता को ग्रहण कर चुका था जिसकी अनुपालना करना कर निर्धारण अधिकारी के लिये बाध्यकारी था परन्तु उनके द्वारा ऐसा नही करके मनमाना आदेश पारित किया गया है। अपीलीय अधिकारी ने स्पष्ट रूप से अंकित किया था कि कथित कूटरचित रसीदों में कतिपय स्थानों के नामों की वर्तनी में अंतर है एवं जिसके संबंध में व्यवहारी द्वारा प्रत्युत्तर कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया था कि ठेके के प्रारम्भ में रसीद बुकों की छपाई में गलती रह गई थी जिसके संबंध में प्रिन्टर के मालिक का हल्फनामा भी प्रस्तुत किया गया था चूंकि उक्त छोटी मोटी अनियमितता वाली रसीद बुके वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा प्रमाणीकरण करके व्यवहारी को दे दी गई थी एवं उनसे कर वसूली करके उनका हिसाब वाणिज्यिक कर अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत कर दिया गया था तो वे कूटरचित रसीद बुके कैसे हो सकती है इस पर कोई अन्वेषण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा नहीं किया गया बल्कि सील (मोहर) के बारे में भी संशय व्यक्त किया गया है जिसके आधार पर कतिपय रसीद बुके कूटरचित मानी गई है इस संबंध में प्रतिप्रेषण आदेश दिनांक 26.04.2007 में स्पष्ट निर्देश थे कि अगर ऐसा संशय था तो इसकी जांच सक्षम प्राधिकारी से करवा ली जावे परन्तु पिछले दस साल में भी कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इस संबंध में जांच नहीं करवाई है अल्बत्ता ठेकेदार ने स्वयं ने कथन किया कि जांच दल कोई विशेषज्ञ नहीं है जो असली या फर्जी मोहर के बारे में अपनी राय दे सके। **उन्होंने यहां तक भी प्रतिबद्धता जाहिर की कि किसी भी विशेषज्ञ से इसकी जांच करवाकर ही इसको सही या फर्जी मानकर इस पर करारोपण किया जावे परन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा केवल अंकेक्षण दल के निष्कर्षो को ही अपना निष्कर्ष मानकर व्यवहारी पर करारोपण कर दिया यहां तक कि व्यवहारी द्वारा विशेषज्ञ साक्ष्य डॉ0 दिनेश सेठी, भूतपूर्व अतिरिक्त निदेशक राजस्थान पुलिस फोरेनसिक लेबोरेट्री का साक्ष्य दिनांक 30.05.2000 प्रस्तुत किया गया जिसमें कार्यालय द्वारा उपलब्ध करवाई गई मोहरों का अंकन रसीद बुकों पर अंकित मोहरों की छाप से ही पाया जाना पाया गया।** उक्त साक्ष्य को कर निर्धारण अधिकारी ने यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि यह साक्ष्य सरकारी मान्यता प्राप्त नहीं है अब यहां पर प्रश्न उठता है कि जब उसने स्वयं खर्चा वहन कर जांच करवाने की प्रतिबद्धता भी स्पष्ट कर दी जबकि यह दायित्व कर निर्धारण अधिकारी का था जो उनके द्वारा वहन नहीं किया गया। व्यवहारी द्वारा उक्त कथित कतिपय कूटरचित रसीदों से कर वसूली की गई जिसको कूटरचित होना प्रमाणित नहीं किया गया इन रसीदों से वसूल किया गया कर राजकोष में जमा करवाया गया है एवं इनका हिसाब वाणिज्यिक कर अधिकारी कार्यालय में दिया गया है। तब केवल मात्र कयास के आधार पर इन रसीदों को कूटरचित रसीदें मानना किसी प्रकार से उचित नहीं है। अतः इस आधार पर किये गये आरोपण का कोई विधिक आधार नहीं है अतः उक्त आरोपण को अपास्त किया जाता है।

19/05/17

लगातार................12

21. जहां तक अधिक कर वसूली का तथ्य आंतरिक अंकेक्षण दल द्वारा उठाया गया था एवं कर निर्धारण अधिकारी ने इस पर बिना किसी जांच अथवा विश्लेषण के सही मानकर व्यवहारी के विरूद्ध राजस्थान बिक्री कर अधिनियम 1994 की धारा 79(5) के तहत कार्यवाही कर अधिक संग्रहित राशि पर दुगुनी शास्ति का आरोपण किया गया है। कथित तौर पर कर दायत्वि से अधिक कर संग्रहण मानकर उक्त अधिनियम की धारा 79(4) का उल्लंघन मानकर उक्त कार्यवाही की गई है, इस संबंध में उल्लेखनीय है कि संबंधित उप धाराऐं (1) एवं (4) में निम्न प्रावधान विहित हैं :–

79(1) **"Establishment of check-post on contract basis (1) Where the Commissioner is of the view that without establishing a departmental check-post, it is in the interest of the State to collect a fixed sum of tax on contract basis, in respect of all kinds of building stones, marble and granite in all their forms, gitti, bazri and animals at a particular point or for a specified area, he may, through a contract, permit a contractor to collect such tax at such point or for such area, on such terms and conditions as may be specified by him, for a period not exceeding two years at a time."**

(4) The contractor shall not collect tax on the goods under sub-section (1) exceeding the amount of tax leviable thereon under the provisions of the Act.

22. तदनुरूप व्यवहारी ठेकेदार का यह दायित्व विहित किया गया है कि वह जिन वस्तुओं पर कर संग्रहण कर रहा है उस पर विहित दर से अधिक दर से वसूल नहीं कर सकेगा। व्यवहारी उक्त अवधि में अविवादित तौर पर निम्न प्रकार से कर दर धारा 9 के अनुरूप राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.4(1)एफडी / टैक्स / 01–पीटी–146 दिनांक 15.01.2003 के तहत वसूल करने के लिये अधिकृत था :–

वस्तु का नाम	विमुक्ति शुल्क
बजरी	6 रूपये प्रति टन
चेजा पत्थर	12 रूपये प्रति टन

अथवा

अधिसूचना. संख्या 147 दिनांक 15.01.2003 के द्वारा विमुक्ति शुल्क वसूल कर सकता था जो इस प्रकार थी :–

वस्तु का नाम	विमुक्ति शुल्क
बजरी	120 रूपये प्रति ट्रक
चेजा पत्थर	140 रूपये प्रति ट्रक

स्पष्टीकरण :– ट्रबो ट्रक व ट्रोला परिवहित होने पर दुगुनी मुक्ति शुल्क तथा ट्रेक्टर ट्राली होने पर आदि करमुक्ति की दर ही लागू होगी।

23. चूंकि राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुरूप व्यवहारी प्रति ट्रक अथवा प्रति टन उक्त विमुक्ति शुल्क / कर संग्रहित कर सकता था। कतिपय मामलों में यदि ट्रबो ट्रक या ट्रोला से माल परिवहनित करने पर आपसी सहमति से अधिक कर वसूली अथवा टनों के अनुसार विहित कर मुक्ति शुल्क वसूल कर लिया जाना बताया है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पूरी ठेका अवधि में एक भी रसीद ट्रांसपोर्टर / व्यक्ति से अभिग्रहित कर अथवा अन्यथा यह प्रमाणित नहीं किया गया है कि अमुक रसीद की प्रति में राशि अलग है एवं ट्रांसपोर्टर को जारी रसीद में राशि भिन्न है केवल रिकार्ड की रसीद में कर अधिक वसूल करना इंगित किया गया है जो राज्य सरकार को व्यवहारी अपीलार्थी ने समस्त संग्रहित कर / मुक्ति शुल्क जमा करवा दिया है। वाणिज्यिक कर अधिकारी, झुन्झुनू द्वारा जारी

लगातार................13

19/05/17

कर/मुक्ति शुल्क जमा कराने का विवरण पत्र पत्रावली पर उपलब्ध है जिसके अनुसार ठेकेदार ने अनुमानित वार्षिक राजस्व राशि 372 लाख रूपये करवा दिये हैं। इसमें किसी प्रकार की अनियमितता एवं बदनियति दृष्टिगोचर नहीं होती है, क्योंकि एक तो इन चैक पोस्टों पर वे ब्रिज नहीं थे दूसरे इससे व्यवहारी ठेकेदार को अधिक कर संग्रहण से कोई लाभ भी प्राप्त नहीं होता था क्योंकि उक्त संग्रहित कर उसने राजकोष में जमा करवाया है। उसको तो केवल निर्धारित अनुमानित वार्षिक कर राजस्व राशि 372 लाख रूपये के अथवा संग्रहित राशि (जो भी अधिक हो) का 3.49 प्रतिशत ही देय होगा। शेष संग्रहित राशि राजस्व का हिस्सा होगा जोकि राजकोष में व्यवहारी द्वारा जमा करवा दिया गया है। किसी भी कृत्य के लिये मन्तव्य का होना आवश्यक है विशेष तौर पर कर करवंचना अथवा कर संग्रहण राशि में से संग्रहित कर राशि में से कुछ राशि जमा न करवाकर अपनी जेब में रखने की कुचेष्टा का तत्व विद्यमान हो। जब व्यवहारी ने समस्त संग्रहित कर/मुक्ति शुल्क जमा करवा दिया तब इन रसीदों को कुटरचित मानकर अधिक कर वसूली का आरोप असंगत प्रतीत होता है। अतः इस आधार पर आरोपित करारोपण एवं शास्ति अपास्त की जाती है।

24. जहां तक मोर्रम पर कर वसूलने की अनियमितता है वह राशि भी अपीलार्थी व्यवहारी ने राजकोष में जमा करवा दी है। अंकेक्षण दल का यह आरोप की निविदा में बतायी गई वस्तुओं के अलावा मोर्रम पर कर/विमुक्ति शुल्क वसूल करके व्यवहारी ने अनियमितता की है जिस पर करारोपण आदि किया गया है। इसमें अधिक से अधिक व्यवहारी का यह विश्वास रहा है कि मोर्रम भी पत्थर व मिट्टी का स्वरूप ही है। इसमें जब संग्रहित राशिं पूरी जमा करवा दी गई है तो एक तकनीकि अपराध दृष्टिगोचर होता है। यद्यपि अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 26.04.2007 में यह स्पष्ट किया था कि यह भी बजरी अथवा पत्थर का ही मिश्रित रूप है जिस पर कर वसूलना अनुचित नहीं है एवं इस पर आरोपित कर एवं शास्ति को अपास्त कर दिया था, जो कि अन्तिम आदेश है। इसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील भी सारहीन हो चुकी है, अतः इस पर दुबारा करारोपण का औचित्य नहीं होता है। पंजीकृत व्यवसायियों से कर वसूली 75 रूपये की करने पर शास्ति एवं करारोपण किया गया था जबकि नियम 44 ठेकेदार को यह शक्तियां प्रदान करता है कि वह पंजीकृत व्यवसायियों से भी कर वसूल कर सकता है।

25. जहां तक रसीद बुकों की द्वितीय प्रति में पेन से लिखने का प्रश्न है यह अनियमितता व्यवहारी अपीलार्थी द्वारा की गई है जिसमें यह संभावना बनती है कि उपर मूल प्रति में अलग राशि लिख दी गई हो, परन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पिछले 10 वर्षों में किसी एक ट्रासपोर्टर के एक संव्यवहार में भी इस तथ्य को प्रमाणित नहीं किया है अतः व्यवहारी के इस कृत्य के लिये अधिनियम, नियम में विहित प्रावधानों एवं दिये गये निर्देशों के उल्लंघन पर राजस्थान बिक्री कर अधिनियम धारा 68 के अन्दर शास्ति लगायी जा सकती है। अतः धारा 68 के तहत आरोपित शास्ति के अलावा शेष सृजित राशि जो इस तथ्य के आधार पर लगायी गई है का कोई कानूनी ओचित्य नहीं होने से निरस्त की जाती है। व्यवहारी पर यह आरोप कि ठेकेदार ने अधिसूचित चैक पोस्टों के अलावा अन्यत्र चैक पोस्ट लगाकर वसूली कार्यवाही की गई। इस कथित आचरण के लिये ठेकेदार के विरूद्ध एवं दो बाहरी अन्य व्यक्तियों के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी लेकिन ठेकेदार पर अनुसंधान के पश्चात अंतिम रिपोर्ट लगायी जा चुकी है अर्थात अन्य दो व्यक्ति समाज कंटक थे जिन पर अपराधिक कानूनी कार्यवाही की गई जिसके लिये ठेकेद्दार के विरूद्ध कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। यहां तक की राज्य अन्वेषण ब्यूरों के पत्र दिनांक 20.07.2005 के द्वारा चैक पोस्ट पर गडबडी की जांच हेतु

लगातार.................14

वाणिज्यिक कर विभाग को पत्र लिखा था उसके पश्चात अगर कोई अनियमितता ठेकेदार कर रहा था तो धारा 29(6) में विहित प्रावधानों के अनुरूप उसका ठेका निरस्त किया जाना अपेक्षित था परन्तु विभाग ने दिनांक 28.03.2006 तक ठेका चलाने की अनुमति इसके बावजूद भी दी अतः ऐसी घोर अनियमितता संभवतः विभाग के परिज्ञान में नहीं आयी थी यहां तक कि जो प्रकरण बनाये गये है ठेकेदार के स्वयं द्वारा विभाग को प्रस्तुत रिकार्ड के आधार पर बनाये गये है।

26. जहां तक अधिक राशि का संग्रहण कर कम राशि जमा कराने का आरोप है अथवा रसीद बुकों में कांट छांट कर कम राशि जमा कराने का आरोप है उक्त कृत्य धारा 79(6) का उल्लंघन है इस पर तत्काल ही सक्षम अधिकारी को तत्समय ही कार्यवाही की जानी थी परन्तु उनके द्वारा कार्यवाही नहीं की। तथापि ऐसी राशि राशि 26,609/– रूपये की कर राशि व उस पर ब्याज व्यवहारी ठेकेदार से वसूलनीय है। क्योंकि इस पर व्यवहारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी को कोई समुचित जवाब नहीं दिया गया है एव ना ही हमारे समक्ष ही कोई समुचित जवाब दिया गया है।

27. अन्य आरोप की निर्धारित कर दर से कम वसूली 33,336/– रूपये का औचित्य व्यवहारी ठेकेदार की ओर से विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा द्वारा स्पष्ट किया गया है कि कतिपय मामलों में 20 टन से कम माल लाने पर प्रति टन की दर से वसूली अथवा ट्रेक्टर ट्रॉली होने से कम वसूली प्रति ट्रिप की गई है जिसमें ठेकेदार का कोई दोष नहीं है। कर निर्धारण अधिकारी लगातार अवसर दिये जाने के बावजूद भी उक्त तथ्य को सुस्थापित नहीं कर पाया है कि ठेकेदार ने इसमें करवंचना की है। अतः बिना किसी भी प्रमाण के सृजित राशि अनुचित व अविधिक होने से अपास्तनीय है।

28. जहां तक ब्याज आरोपण का बिन्दु है उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 17.11.2014 में जितने कर/कर मुक्ति शुल्क की पुष्टि की गई है उतनी राशि यदि विलम्ब से जमा करवाई गई है तो विलम्ब हेतु ब्याज देय होगा। ब्याज आरोपण में व्यवहारी द्वारा जमा करवाई गई राशि को भी ध्यान में रखा जावेगा।

29. अन्य अनिंयमिततओं/दिये गये निर्देशों/विहित प्रावधानों के उल्लंघन पर यथा एसटी 34 की अनियमितता, शर्त सख्या 31 के उल्लंघन का कृत्य एवं कार्बन प्रति नहीं रखना इत्यादि पर उक्त अधिनियम की धारा 68 के तहत शास्ति आरोपणीय है।

उपरोक्त विश्लेषण के अनुसार प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वे इस आदेश के अधीन यथावत रखे गये कर/मुक्ति शुल्क पर नियमानुसार शास्ति एवं ब्याज का तदनुरूप आरोपण करें।

30. अतः अपीलार्थी ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीलें आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

19/05/17
(राजीव चौधरी)
सदस्य

19.5.2017
(मदन लाल)
सदस्य